समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाखा)
फोन नं0– (06183) 222335(R), 222336 (O)
फैक्स नं0– (06183) 222231(R), 226935 (O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in
बिहार सरकार

# संयुक्त जिला आदेश

अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक 2403–6/E दिनांक 05.08.2018 द्वारा सूचित किया गया है, कि वर्ग फौकानियाँ/मौलवी परीक्षा 2018 दिनांक 27.08.2018 से आरम्भ होकर दिनांक 31.08.2018 को सम्पन्न होगी। प्रथम पाली (First Shift) 08:45 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली (Second Shift) 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे अपराह्न तक संचालित होगी, जिसका कार्यक्रम निम्नवत है :–

## परीक्षा कार्यक्रम

| क्र0 सं0 | तिथि एवं दिन | फौकानियाँ | | मौलवी | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम पाली | द्वितीय पाली | प्रथम पाली | द्वितीय पाली |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) |
| 1 | 27.08.2018 (सोमवार) | दिनियात प्रथम | दिनियात द्वितीय | दिनियात प्रथम | दिनियात द्वितीय |
| 2 | 28.08.2018 (मंगलवार) | अरबी | फारसी | दिनियात तृतीय | अरबी |
| 3 | 29.08.2018 (बुधवार) | उर्दू | हिन्दी | फारसी | उर्दू |
| 4 | 30.08.2018 (वृहस्पतिवार) | गणित | विज्ञान | समाज अध्ययन | हिन्दी |
| 5 | 31.08.2018 (शुक्रवार) | समाज अध्ययन | ऐच्छिक विषय | ऐच्छिक विषय | ––– |

परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचार मुक्त सम्पन्न हो, इसके लिए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं :–

1- प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी/प्रश्न पत्र वितरण–सह–गश्ती दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" के अनुसार निम्नवत की जाती है :–

## परिशिष्ट– "क" (फौकानिया परीक्षा, 2018)

| क्र0 सं0 | परीक्षा केन्द्र का नाम एवं केन्द्र सं0 | केन्द्राधीक्षक का नाम एवं मो0 नं0 | स्टैटिक दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या | पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल संख्या | लाठी बल |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Maharani Usharani Girl High School, Dumraon (फौकोनिया छात्रा–84) | Pushpa Kumari, Head Master, Mob : 9334860738 | नीशी लतारे टोपनो, औषधी निरीक्षक, डुमरॉव अनुमण्डल। मो0– 9006493600 | स0अ0नि0 मोजबुद्दिन अहमद डुमरांव थाना मो0– 9576978140 | 05 |
| 2 | B.B. High School, Buxar (फौकोनिया छात्र–31) | Sri Krishan Bihari Rai, Mob. : 9430941026 | श्री अजय शंकर लोरिक, औषधी निरीक्षक, बक्सर। मो0– 9661197955 | स0अ0नि0 अशोक कु0 शर्मा, पु0के0 बक्सर मो0– 8651286135 | 05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मौलवी परीक्षा, 2018 | | |
| 3 | CPSS High School, Dumraon (मौलवी छात्रा– 161) | Premchand Ram, Head Master, Mob : 9576363951 | संगीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी। मो0– 9431005139 | स0अ0नि0 उमेश कुमार गुप्ता पु0के0 बक्सर मो0– 9905201653 | 05 |
| 4 | Adarsh Middle School, Naya Bazar, Buxar (मौलवी छात्रा– 62) | Smt. Lalita Jiyut, Head Master, Mob : 9430007698 | श्री अजय कुमार पाल, निरीक्षक विधिक माप, विज्ञान, बक्सर। मो0– 9798633092 | स0अ0नि0 मोहन कु0 सिंह पु0के0 बक्सर मो0–8804039651 | 05 |

## परिशिष्ट– "ख"

## प्रश्न पत्र वितरण --सह– गश्ती दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी

| क्र0 सं0 | परीक्षा केन्द्र का नाम एवं केन्द्र सं0 | केन्द्राधीक्षक का नाम एवं मो0 नं0 | प्रश्न पत्र वितरण –सह– गश्ती दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या | पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल संख्या | सशस्त्र बल | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) |
| 1 | Maharani Usharani Girl High School, Dumraon (फौकोनिया छात्रा–84) | Pushpa Kumari, Head Master, Mob : 9334860738 | श्री सुमन्त नाथ, अंचल अधिकारी, डुमराँव। मो0– 8544412500 | पु0अ0नि0 मो0 रूस्तम अंसारी, डुमरांव थाना मो0–8292883377 | 05 | पंजाब नेशनल बैंक, राजगढ़, डुमराँव। कोड सं0– 0152 |
| | CPSS High School, Dumraon (मौलवी छात्रा–161) | Premchand Ram, Head Master, Mob : 9576363951 | | | | |
| 2 | B.B. High School, Buxar (फौकोनिया छात्र–31) | Sri Krishan Bihari Rai, Mob. : 9430941026 | श्री देवनन्दन राम, परियोजना निदेशक, आत्मा, बक्सर। मो0– 8969202520 | पु0अ0नि0 रमेश राम महिला थाना मो0– 9525966875 | 05 | पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा,बक्सर। कोड सं0– 3877 |
| | Adarsh Middle School, Naya Bazar, Buxar (मौलवी छात्रा–62) | Smt. Lalita Jiyut, Head Master, Mob : 9430007698 | | | | |

2- उक्त परीक्षा का (गोपनीय सामग्री) प्रश्न–पत्र बक्सर अनुमण्डल में पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा, बक्सर कोड सं0– 3877 एवं **डुमराँव अनुमण्डल** में पंजाब नेशनल बैंक, राजगढ़, डुमराँव, कोड सं0– 0152 में सुरक्षित रखा जायेगा। इसका अनुपालन **शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल, बैंक, बक्सर एवं डुमराँव** सुनिश्चित करेंगे एवं **अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव** अपने पर्यवेक्षण में उक्त गोपनीय सामग्री रखवाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के दिन प्रातः **7:00** बजे दो पाली के विषयों के लिए प्रश्न पत्र अपने–अपने केन्द्र के लिए केन्द्राधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत शिक्षक द्वारा गश्ती दण्डाधिकारी (सशस्त्र पुलिस बल के साथ) की उपस्थिति में बैंक से संयुक्त रूप से प्राप्त करेंगे तथा बैंक की पंजी पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे। गश्ती दण्डाधिकारी वाहन से प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचायेंगे और वाहन में केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत शिक्षक को भी साथ लेते जायेंगे। संबंधित पाली के प्रश्न–पत्र स्टैटिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने के **15** मिनट पूर्व ही खोलकर कक्षवार तैयार कर परीक्षा कक्षों में केन्द्राधीक्षक द्वारा भेजे जायेंगे। प्रश्न–पत्र खोलने के पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होंगे कि यह पॉकेट संबंधित पाली का है। किसी भी परिस्थिति में कोई प्रश्न–पत्र कक्ष के बाहर नहीं जाने पाये, ऐसा केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी

सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न [illegible] हुई त्रुटि किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए केन्द्राधीक्षक जिम्मेवार माने जायेंगे। केन्द्राधीक्षक प्रश्न पत्र के पैकेट बैंक से प्राप्त करते समय पैकेटों पर परीक्षा की तिथि तथा विषय ग्रूप संख्या का मिलान भली–भाँति कर लेंगे। इसमें केन्द्राधीक्षक की ओर से काफी सतर्कता बरतनी है।

**परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र को देखकर अंदर जाने दें।** किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें।

3- **जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर (मो0– 8544411179) जिला परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगें। उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने देख–रेख में अनुमण्डलवार संग्रह केन्द्र स्थापित करेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन परीक्षा समाप्ति के बाद सील्ड उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिनियुक्त प्रश्न पत्र वितरण –सह– गश्ती दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की देख–रेख में जमा किया जायेगा। फौकोनिया एवं मौलवी की उत्तर पुस्तिकाएँ केन्द्रवार विषयांकित, तिथिवार, अलग–अलग सुरक्षित रखी जायेंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर संग्रह केन्द्र के लिए किसी दक्ष प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अथवा विश्वसनीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारी को एक पंजी संधारण करने, जिसमें सभी प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को दर्ज करने का निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।**
केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उत्तर पुस्तिका प्रेषण विवरणी में परीक्षा केन्द्र में निष्कासित परीक्षार्थियों, पूर्णतः अनुपस्थित परीक्षार्थियों के क्रमांक तथा किसी विषय में यदि कोई परीक्षार्थी उपस्थित नहीं हुआ है तो उसके क्रमांक को उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

4- **फौकानिया/मौलवी परीक्षा–2018 के सभी परीक्षा केन्द्रों से प्रतिदिन परीक्षा के उपरांत दोनो पाली की व्यवहृत उत्तर–पुस्तिकाओं को विषयवार/पालीवार सुरक्षित रखवाने हेतु** केन्द्राधीक्षक प्रतिदिन पालीवार व्यवहृत उत्तर–पुस्तिकाओं के पैकेट अलग–अलग तैयार कर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की उपस्थिति में सील कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वार निर्धारित संग्रह केन्द्र पर सुरक्षित रखेंगे।

6- परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी प्रत्येक परीक्षार्थियों की जाँच प्रवेश द्वार पर ही कर लेंगे, जिसमें शिक्षकों को समुचित सहायता ली जाय ताकि परीक्षा अवधि में कोई भी परीक्षार्थी अनाधिकृत रूप से नकल करने के उद्देश्य से कुछ भी सामग्री परीक्षा भवन में नहीं ले जाय। साथ ही केवल
परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश–पत्र को देखकर अन्दर जाने दिया जाय। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें।

अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी/बल की उपस्थिति ससमय सुनिश्चित करायेंगे।

7- केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा के समय प्रश्न पत्र वितरण के तुरंत बाद सभी बचे हुए प्रश्न पत्रों को एकत्रित कर उसकी वास्तविक संख्या दर्ज करते हुए उसे सील कर दें जिससे बचे हुए प्रश्न–पत्रों का दुरूपयोग न हो। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/केन्द्राधीक्षक अपना दैनिक खैरियत प्रतिवेदन (पालीवार) जिला गोपनीय शाखा को देंगे।

सभी केन्द्राधीक्षक, सभी स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं प्रश्न पत्र वितरण –सह– गश्ती दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 को दृढ़ता से पालन करेंगे तथा जो भी परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त पाये जायें उन पर यथोचित कार्रवाई की जाय।

(क) केन्द्राधीक्षक जिन कमरों में परीक्षा लेंगे उस पर पेन्ट से कमरा नम्बर लिखवना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) परीक्षा के दौरान केन्द्राधीक्षक वीक्षक के रूप में कार्य करने वाले सभी वीक्षकों का नाम, पदनाम के साथ एक सूची प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) प्रत्येक वीक्षक एवं परीक्षा में सम्मिलित कर्मियों को पहचान पत्र (चुनाव में निर्गत किये गये पहचान पत्र) या केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र शरीर के वस्त्र पर सामने लगाना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र स्पष्ट रूप से दिखना चाहिये, बिना पहचान पत्र के केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा तथा पकड़े जाने पर अनुशासनिक अथवा नियम संगत या दोनों कार्रवाई की जायेगी।

(घ) प्रतिदिन केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र में वीक्षक के रूप में कार्य करने वाले वीक्षको की सूची कमरा नम्बर सहित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसके आधार पर दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वीक्षक अपने ही कमरे में कार्य करे और दूसरे कमरा/कमरों में अनावश्यक नहीं जाये। सूची के अतिरिक्त वीक्षक के रूप में अनाधिकृत पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं केन्द्राधीक्षक भी उसके लिए जिम्मेवार माने जायेंगे।

(ड.) केन्द्राधीक्षक परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार बैठाये। सीट प्लान की एक प्रति परीक्षा के मुख्य द्वार पर ब्लैक बोर्ड पर बड़े–बड़े अक्षरों में चिपका देंगे और सीट प्लान की एक प्रति उसी दिन प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजेंगे। केन्द्राधीक्षक की यह जबावदेही होगी कि वे परीक्षा परिसर या भवन में यदि किसी प्रकार का कागजात या अन्य पर्चियाँ हो तो उसकी सफाई करवा दें, अन्यथा इस कार्य के लिए वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक दोनों उत्तरदायी होंगे और उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

9- परीक्षा में किसी भी शिक्षक, वीक्षक, परीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं कर्मचारियों के द्वारा कोई भी शिथिलता बरते जाने की सूचना यदि संबंधित दण्डाधिकारियों को प्राप्त होता है तो परीक्षा नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे।

10- परीक्षा केन्द्र के 250 गज की दूरी पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 144 अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

11- प्रश्न पत्र आउट करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।

12- केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र के वैसे स्थान पर जहाँ हर किसी को देखने का मौका मिले, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के मुख्य प्रावधानों का सारांश लिखकर चिपका दें।

13- परीक्षा के दौरान में कदाचार में पाये गये परीक्षार्थियों तथा इस कार्य में सहयोग देनेवाले अभिभावक के पकड़े जाने पर ट्रायल दण्डाधिकारी प्रतिदिन का खैरियत प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध करायेंगे। जुर्माना के रूप में प्राप्त राशि कोषागार में **"0070 Other Administrative Service, 01 Administration of Justice, 102 Fines and forefeitures"** शीर्ष में अविलंब जमा कर दी जायगी। 18 वर्ष से कम आयु के परीक्षार्थियों को बाल सुधार गृह में रखा जायगा।

14- वितंतु पर्यवेक्षक यदि वितंतु सेट उपलब्ध हो तो प्रतिनियुक्त जीप में वितंतु सेट की व्यवस्था करेंगे जिससे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी संवाद भेजते रहेंगे।

15- परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध दूरभाष का उपयोग भी संवाद [illegible] किया जायेगा।

16- प्रत्येक केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक द्वारा माईक लगाकर रखा जायेगा जिसका उपयोग कदाचार रहित परीक्षा का संचालन के लिए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव अपने अनुमण्डल में पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर कदाचार अपनाने वालो के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्रवाई करेंगे।

18- अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव अपने–अपने क्षेत्र के सम्पूर्ण विधि–व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु वाहन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही अपने अनुमण्डल स्थित परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में किसी अन्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे तथा इसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव प्रातः 9:00 बजे से ही भ्रमणशील रहेंगे एवं अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक केन्द्रों का भ्रमण करेंगे।

19- संबंधित केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित वैध कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जायें। मोबाईल फोन का परीक्षा के दौरान प्रयोग पूर्णतः बन्द रहेगा।

20- संबंधित केन्द्राधीक्षक, परीक्षा केन्द्र परिसर की सफाई प्रत्येक दिन/पाली में परीक्षा शुरू होने के पूर्व सुनिश्चित करायेंगे जिससे कि किसी तरह का चिट/पुर्जा आदि परिसर में न रहे। इसके अतिरिक्त परीक्षा कक्षों के श्यामपट्ट पर परीक्षा विषयों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहे।

21- **अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव परीक्षा संचालन हेतु विधि–व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। साथ ही निदेश दिया जाता है कि किसी केन्द्र पर कदाचार अथवा किसी अन्य कारण से पूरी पाली की परीक्षा रद्द हो जाती है, ऐसी स्थिति में अपने स्तर से जाँचोपरान्त दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से की गई लापरवाही/उदासीनता/अनुशासनहीनता के कारण परीक्षा को रद्द करना आवश्यक हो गया। इस संबंध में वे विस्तृत प्रतिवेदन भेजेंगे।**

22/08/18

पुलिस अधीक्षक
बक्सर

24/8/18

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर

**ज्ञापांक 0-2691/ बक्सर गो0 दिनांक 23/8/2018**

प्रतिलिपि :– सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित केन्द्राधीक्षक, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष, डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा, बक्सर एवं राजगढ़ डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/08/18

पुलिस अधीक्षक
बक्सर

24/08/18

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर